

केंद्रीय जी. एस. टी. एवं सेंट्रल एक्साइज आयुक्तालय : सूरत  
C. G. S. T. & Central Excise Commissionerate: Surat  
एक्साइज बिल्डिंग, गौंधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001  
Excise Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



फा.सं. XX/08/2017

दिनांक: 17.12.2019

अनुस्मारक

सेवा में  
निदेशक(राजभाषा)  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषय:- भारत के राजपत्र में सूरत आयुक्तालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

संदर्भ: पत्र फा. सं. XX/08/2017, दि.10.07.2019 का कृपया अवलोकन करें।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कैडर पुनर्गठन के फलस्वरूप मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय जी. एस. टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा जोन(गुजरात) में केंद्रीय जी. एस. टी. एवं सेंट्रल एक्साइज सूरत आयुक्तालय का सृजन हुआ। वर्तमान में इस आयुक्तालय में कुल कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मियों को हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आयुक्तालय तथा इसके सभी अधीनस्थ मण्डलों को राजभाषा नियम-1976 के नियम सं.10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाने की कृपा करें। अधिसूचित करने हेतु मुख्य कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय जी. एस. टी. एवं सेंट्रल एक्साइज, सूरत  
Office Of The Commissioner : C.G.S.T. & Central Excise, Surat

अधीनस्थ कार्यालय

1. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, मंडल-I, सूरत
2. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, मंडल-II, सूरत
3. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, मंडल-III, सूरत
4. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, मंडल-IV, सूरत
5. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, मंडल-V, सूरत
6. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, वलसाड मंडल, वलसाड
7. कार्यालय उपायुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, नवसारी मंडल, नवसारी
8. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, तापी मंडल, वलसाड
9. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, वापी मंडल-I, वापी
10. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, वापी मंडल-II, वापी
11. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, वापी मंडल-III, वापी
12. कार्यालय सहायक आयुक्त, सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज, उम्बरगाँव मंडल, भिलाड

भवदीय,


संयुक्त आयुक्त(राजभाषा)

सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज आयुक्तालय, सूरत

प्रतिलिपि:-

1. अपर निदेशक, निष्पादन प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क, पांचवी एवं छठी मंजिल, ड्रम शेड बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
2. सहायक निदेशक(रा.भा.), नराकास, राजभाषा अनुभाग, मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट, सूरत
3. फाइल कापी।

I/234195/2021

<b>केंद्रीय जी. एस. टी. एवं सेंट्रल एक्साइज आयुक्तालय : सूरत</b> <b>C. G. S. T. &amp; Central Excise Commissionerate: Surat</b> <b>एक्साइज बिल्डिंग, गौधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001</b> <b>Excise Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat</b>	
--	---

फा.सं. XX/08/2017

दिनांक: 01.02.2021

अनुस्मारक- 02

सेवा में  
 निदेशक(राजभाषा)  
 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,  
 नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषय:- भारत के राजपत्र में सूरत आयुक्तालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

संदर्भ: पत्र फा. सं. XX/08/2017, दि.10.07.2019, 17.12.2019 का कृपया अवलोकन करें।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कैडर पुनर्गठन के फलस्वरूप मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय जी. एस. टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा जोन(गुजरात) में माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सूरत का मूजन हुआ। वर्तमान में डम आयुक्तालय में कुल कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत में अधिक अधिकारियों एवं कर्मियों को हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आयुक्तालय तथा इसके सभी अधीनस्थ मण्डलों को राजभाषा नियम-1976 के नियम सं.10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाने की कृपा करें। अधिसूचित करने हेतु मुख्य कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

कार्यालय आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूरत  
 Office Of The Commissioner : C.G.S.T. & Central Excise, Surat  
 अधीनस्थ कार्यालय

1. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-I, सूरत
2. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-II, सूरत
3. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-III, सूरत
4. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-IV, सूरत
5. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-V, सूरत
6. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बलमाड़ मंडल
7. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नवमारी मंडल
8. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-I
9. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-II
10. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-III
11. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उम्बरगाँव मंडल
12. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उम्बरगाँव मंडल

भवदीय,

मंयुक्त आयुक्त(राजभाषा)

माल व सेवाकर एवं कें. उ. शुल्क आयुक्तालय, सूरत  
 प्रतिनिधि:-

1. अपर निदेशक, निष्पादन प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क, पांचवी एवं छठी मंजिल, ड्रम शेल्ड बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
2. सहायक निदेशक(रा.भा.), नराकाम, राजभाषा अनुभाग, मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट, सूरत
3. फाइल कापी।

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय : सूरत  
G. S. T. & Central Excise Commissionerate: Surat  
सीजीएसटी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001  
C. G. S. T. Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



फा.सं. XX/08/2017

दिनांक: 10.03.2021

अनुस्मारक- 03

सेवा में  
डॉ. सतीश चन्द्र  
निदेशक(राजभाषा)  
कमरा संख्या 264(A)  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषय:- भारत के राजपत्र में सूरत आयुक्तालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

संदर्भ: पत्र फा.सं. XX/08/2017, दि. 10.07.2019, 17.12.2019 और 25.01.2021 का कृपया अवलोकन करें।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कैडर पुनर्गठन के फलस्वरूप मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा जोन(गुजरात) में माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सूरत का सृजन हुआ। वर्तमान में इस आयुक्तालय में कुल कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मियों को हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आयुक्तालय तथा इसके सभी अधीनस्थ मण्डलों को राजभाषा नियम-1976 के नियम सं.10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाने की कृपा करें। अधिसूचित करने हेतु मुख्य कार्यालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

कार्यालय आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूरत  
Office Of The Commissioner : C.G.S.T.& Central Excise, Surat  
अधीनस्थ कार्यालय

1. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-I, सूरत
2. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-II, सूरत
3. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-III, सूरत
4. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-IV, सूरत
5. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-V, सूरत
6. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वलसाड मंडल
7. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नवसारी मंडल
8. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तापी मंडल
9. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-I, वापी
10. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-II, वापी
11. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वापी मंडल-III, वापी
12. कार्यालय सहायक आयुक्त, माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उम्वरगाँव मंडल

जी.एस.टी व एक्साइज सूरत आयुक्तालय  
10 MAR 2021  
सं. 3  
हस्तः  
प्रतिलिपि:-

भवदीय,

संयुक्त आयुक्त(राजभाषा)

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सूरत

1. अपर महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क, पांचवी एवं छठी मंजिल, ड्रम शेड बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
2. सहायक निदेशक(रा.भा.), नराकास, राजभाषा अनुभाग, मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट, सूरत
3. फाइल कापी।